भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 93

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष का उपयोग

***93. श्री टी.एन. प्रथापन :**

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष 2015 से योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है;

(ख) हाल के वर्षों में मंत्रालय और विशेषकर निर्भया कोष को आबंटित निधियों के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को रोकने और इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा वृद्धि के संबंध में की गई सिफारिश के बावजूद मंत्रालय को बजट आबंटन में कमी किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

निर्भया कोष के उपयोग के संबंध में श्री टी.एन. प्रतापन और श्री मोहम्मद फैज़ल पी.पी द्वारा 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): निर्भया कोष के ढांचे के तहत गठित अधिकारियों की एक अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) विभिन्न मंत्रालयों /विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों(आईए) आदि से प्राप्त निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है। इसके बाद, संबंधित मंत्रालय/विभाग/आईए सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) की मंजूरी लेते हैं और अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन जारी करते हैं। निर्भया कोष के तहत वित्त वर्ष 2023-24 तक कुल 7212.85 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। शुरुआत से लेकर अब तक मंत्रालयों/विभागों/आईएएस द्वारा जारी और निर्भया कोष से उपयोग की गई कुल राशि 5118.91 करोड़ रुपये है जो कुल आवंटन का लगभग 70% है। मंत्रालयों/विभागों/आईए द्वारा जारी की गई और निर्भया कोष से उपयोग की गई राशि का स्कीम/परियोजना-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। ईसी द्वारा मूल्यांकित किंतु अभी तक सीएफए द्वारा अनुमोदित की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) से (घ): निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/स्कीमें मांग आधारित हैं। निर्भया कोष के ढांचे के तहत अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन अनुसूची सांतर है। इसके अलावा, कुछ मूल्यांकन परियोजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, हालांकि, अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें केंद्र सरकार संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के निर्धारित निधि सहभाजन पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करती है और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी स्कीमें भी हैं, जिनमें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर आगे की धनराशि जारी की जाती है। इसलिए, यह संभव है कि वास्तव में अधिक धनराशि का उपयोग किया गया हो, किंतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/आईए से जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त नहीं हुए हों। यूसी और एसओई प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/आईए द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। कई अन्य कारक जैसे सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, अनुबंध देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अप्रत्याशित कारणों जैसे कोविड 19 आदि से व्यवधान, भी स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, अधिकारियों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर समय-समय पर मूल्यांकन/अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और व्यय की स्थिति की भी समीक्षा करती है। इसके अलावा, परियोजना/स्कीम को लागू करने वाले मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं।

*****

अनुलग्नक-I

''निर्भया कोष के उपयोग'' के संबंध में 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के भाग (क) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय/विभाग	क्र.सं.	परियोजना का नाम	निर्भया कोष से जारी की गई/आईए द्वारा उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपये)
गृह मंत्रालय	1.	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)	364.03
	2.	केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) का निर्माण	200.00
	3.	महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	171.00
		सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत उप-परियोजना	
	4.	दिल्ली में जिला एवं उप-मंडलीय पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा	5.01
	5.	नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई (एसपीयूएनईआर) के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नई इमारत	21.35
	6.	'दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा' स्कीम के तहत विभिन्न अन्य गतिविधियां	9.96
	7.	8 शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई के लिए सुरक्षित शहर का प्रस्ताव	1434.58
	8.	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए लैब की स्थापना	42.84
	9.	24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा, पुडुचेरी, झारखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और जम्मू और कश्मीर में एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना।	180.36
	10.	फोरेंसिक में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) का प्रशिक्षण यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए साक्ष्य संग्रह और फोरेंसिक किट की खरीद	31.43

	11.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	113.76
	12.	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण (10,000 पुलिस स्टेशनों को कवर करते हुए)	158.01
रेल मंत्रालय	13.	एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएसएस)	313.72
	14.	कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	17.64
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	15.	महिला सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण का विकास और फील्ड परीक्षण	3.49
न्याय विभाग	16.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना	734.92
		वित्त वर्ष 2022-23 तक दो और वर्षों के लिए एफटीएससी का समय विस्तार	
		वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन और वर्षों के लिए एफटीएससी का समय विस्तार	
पर्यटन मंत्रालय	17.	म.प्र. में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	6.24
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	18.	महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अभय परियोजना प्रस्ताव	58.64
	19.	सार्वजनिक परिवहन, यूपीएसआरटीसी, उ.प्र. सरकार में महिला सुरक्षा	80.92
	20.	बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार द्वारा भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण	33.64
	21.	राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफार्म (वीटीपी) का प्रस्ताव	213.88
	22.	सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी के साथ तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसों में एसओएस बटन के साथ वाहन ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना	11.53
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	23.	वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	798.81
	24.	महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण	80.55
	25.	महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)	16.32
	26.	चिराली प्रस्ताव, महिला अधिकारिता निदेशालय	4.71
	27.	महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम, म.प्र. सरकार	1.04
	28.	महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा, उत्तराखंड सरकार	0.3145

	29.	निर्भया शेल्टर होम, नागालैंड सरकार	2.55
	30.	निर्भया डैशबोर्ड विकसित करने के लिए एनआईसीएसआई	0.24
	31.	औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए मिशन शक्ति	4.95
	32.	मणिपुर में 16 महिला बाजारों में भंडारण बक्सों की स्थापना	1.60
	33.	मणिपुर में 16 महिला बाजारों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना	0.88
		योग	**5118.9145**

अनुलग्नक- II

''निर्भया कोष के उपयोग'' के संबंध में 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के भाग (क) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय/विभाग	क्र.सं.	परियोजना का नाम
रेल मंत्रालय	1.	महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैब्स की खरीद का प्रस्ताव
	2.	पायलट परियोजना के रूप में 7 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) का प्रस्ताव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	3.	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए गहन देखभाल और सहायता की स्कीम
	4.	उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं और लड़कियों की उद्यमिता विकास, व्यावसायिक-डिजिटल प्रशिक्षण सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए डीआईसी केंद्रों पर महिला स्वाबलंबन केंद्र (एमएसके) की स्थापना के लिए मिशन शक्ति-2.0
	5.	उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव (i) औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों की कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास/डोरमेट्री का निर्माण (ii) महिला सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना। (iii) निर्भया पिंक टॉयलेट का निर्माण
विदेश मंत्रालय	6.	विदेश में 10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	7.	अमृत शहरों में डार्क स्पॉट्स को रोशन करने (अरुणाचल प्रदेश के लिए 0.22 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 0.44 करोड़ रुपये, त्रिपुरा के लिए 0.22 करोड़ रुपये और झारखंड के लिए 2.33 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव